Dy. No. 171
Dated 6/1/17
Central Office D.L.S.A.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

कार्यालय परिपत्र संख्या 30050–250 / हिन्दी / 237 / 2016, दिनांक 31 अगस्त 2016 के क्रम में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के आदेश दिनांक 08 / 12 / 2016 के अनुपालन में पुनः सूचित किया जाता है कि स्वामि'ज एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में इन्सेन्टिव्स फॉर हिन्दी शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित नियमों में हिंदी भाषा में निर्धारित कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पारितोषिक देने का प्रावधान है (सूचनार्थ प्रति संलग्न है)। केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति इन प्रावधानों के अनुसार नकद पारितोषिक हेतु जिला न्यायालय दिल्ली के कर्मचारियों से संलग्न नियमों में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र पर उनके द्वारा हिन्दी भाषा में किए गए कार्यों का विवरण आमंत्रित करती है।

संलग्न नियमों को भली–भांति पढ़ने के बाद योग्य कर्मचारी दिनांक 31 जनवरी 2017 तक नियमानुसार अपना विवरण राजभाषा हिंदी अनुभाग, कक्ष संख्या 237, द्वितीय तल, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली को भेजें ताकि इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा सके।

अरुण आर्य

(अरुण कुमार आर्य)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नई दिल्ली /
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली

संख्या 375–550 / हिंदी / 237 / 2016

दिल्ली, दिनांक 03/01/2017

आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली / नई दिल्ली। इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र (संलग्नकों सहित) को अपने संबंधित जिले में परिचालित करवाएँ।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. श्री अरुण कुमार आर्य, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली / अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री वीरेन्द्र गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली / वरिष्ठ सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, विशेष सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, नई दिल्ली / वरिष्ठ सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, महा पंजीयक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली / वरिष्ठ सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली, श्री तरुण सहरावत, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला / वरिष्ठ सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली।
4. प्रभारी न्यायाधीश, प्रशासन अनुभाग–एक, दो व तीन, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
6. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) / प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) / अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. निजी कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
9. वेबसाइट समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

नोट :– उपरोक्त सभी से अनुरोध है कि अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को इस परिपत्र एवं इसके संलग्नकों से अवगत करवाएं व निर्धारित तारीख तक योग्य कर्मचारियों के नाम राजभाषा हिंदी अनुभाग को भिजवाएं। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी परिपत्र संख्या 30050–250 / हिन्दी / 237 / 2016, दिनांक 31 अगस्त 2016 के संदर्भ में अपने नाम राजभाषा हिन्दी अनुभाग को भेज चुके हैं, उन्हें इस परिपत्र के संदर्भ में दोबारा अपने नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है।

AO for PIO

Marked to Estt. Wing/L.A. Wing
Legal Lit. Wing/Lok Adalat Wing/
PIO

for Member Secretary 6/1/17

तरुण सहरावत

(तरुन सहरावत)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
वरिष्ठ सदस्य
केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति
जिला न्यायालय दिल्ली।